पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : प्रबन्ध बोर्ड / 2021–22 / 197 दिनांक : 10.01.2022

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2021 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 30.12.2021 को प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः—

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
01	प्रोफेसर भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री जे. पी. चंदेलिया	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र पिलानी	सदस्य
03	प्रोफेसर के. डी. स्वामी	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
04	प्रोफेसर एम.एस. पूनिया	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
05	डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
06	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा एवं प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, जयपुर	सदस्य
07	डॉ. डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
08	डॉ. पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
09	श्री अर्जुनलाल गुर्जर	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

समिति के सदस्य प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर, प्रमुख शासन सचिव वित, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् डॉ. राहुल सिंह एवं डॉ. शम्भु दयाल गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों का नववर्ष में हार्दिक स्वागत किया। बोर्ड की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों (Agendas) पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 22.09.2021 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट I में बैठक दिनांक 22.09.2021 के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 22.09.2021 के अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट II में बैठक दिनांक 22.09.2021 के अनुपालना प्रतिवेदन (ATR) का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 3 :– अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु नॉर्म्स तैयार करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

निर्णयः अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु मापदण्ड (Norms) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अद्यतन अध्यादेश, परिनियमों एवं नियमों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अधिकारियों के भर्ती नियम, 1974 अर्थात् The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाने का निर्णय किया गया। भर्ती पूर्णतया पारदर्शिता के साथ हो तथा अनुभव व सक्षमता का भी ध्यान रखा जावे। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि एक माह में भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जावे।

Item Agenda (मद) 4 :– विश्वविद्यालय में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को कार्याधिकता के कारण कनिष्ठ लिपिक के पदों में रूपान्तरित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को रूपान्तरित न करवाकर विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के सृजित 10 पदों में 05 पद स्वीकृत हैं, शेष 05 कनिष्ठ लिपिक के पदों पर राज्य सरकार से भर्ती की स्वीकृति लेने हेतु लिखा जाये एवं विश्वविद्यालय में कार्यधिकता के मध्यनजर राज्य सरकार से कनिष्ठ लिपिक के अधिक पद मांगे जाये जिससे कि विश्वविद्यालयी कार्यव्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न होती रहे।

Item Agenda (मद) 5 :– आयकर अधिनियम की धारा–143 के अनुसार आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के संबंध में विश्वविद्यालय में सरप्लस रही आय के संबंध में क्रमशः रू. 24,20,55,654 एवं 4,63,68,657 को जमा करवाने पर विचार एवं निर्णय।
(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)

निर्णयः विश्वविद्यालय में सरप्लस रही आय के संबंध में आयकर विभाग को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाने का निर्णय लिया गया और तत्पश्चात स्टे हेतु अपील की जावे। साथ ही विश्वविद्यालय की आगामी पांच वर्षों की कार्य योजना (Work Plan) तैयार की जाये। विश्वविद्यालय की भौतिक, निर्माण एवं विभागों में, मानव

संससाधन, शोध केन्द्रों व अन्य गतिविधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना (Work Plan) तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय के पूर्व में निर्मित स्टेच्यूट में व्यवहारिक कठिनाईयों व त्रुटियों के कारण एवं प्रस्तावित अध्यादेशों में राजभवन के निर्देशानुसार आंशिक संशोधन करवाने हेतु एक कमेटी का गठन करना, उसके सदस्यों का पारिश्रमिक तय करने एवं संशोधित स्टेच्यूट एवं अध्यादेश प्राप्त करने हेतु कमेटी की समयावधि निर्धारित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः स्टेच्यूट एवं अध्यादेशों में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों व त्रुटियों के कारण आंशिक संशोधन करवाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय कियाः

विधि विभाग के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एम. एस. राठौड़, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पूर्व प्रोफेसर सतीश शास्त्री एवं पूर्व प्रोफेसर के. एल. शर्मा के नाम सुझाये गए तथा पूर्व उपकुलसचिव या उससे उच्च स्तर के विशेषज्ञों में श्री एस. एन. शर्मा एवं श्री ए. के. शर्मा के नाम का निर्णय किया। समिति में उन विशेषज्ञों को भी प्राथमिकता दी जायेगी जिसने पूर्व में किसी विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट एवं अध्यादेशों का निर्माण किया हो।

समिति द्वारा अधिकतम 20 बैठक आयोजित करवाकर तीन माह में संशोधित स्टेच्यूट एवं अध्यादेशों का प्रारूप विश्वविद्यालय को सौंपे जाने का निर्णय किया गया। समिति के सदस्यों को प्रति बैठक रू. 2000/– मानदेय भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सचिवालय सहायता दी जायेगी तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

Item Agenda (मद) 7 :– श्री अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज, विकास टी.टी. कॉलेज एवं डॉ. राजेश ढ़ाका से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रबंध बोर्ड द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट V के अनुसार प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

Item Agenda (मद) 8 :– डॉ. राजेश कुमार ढ़ाका, पीटीआई, राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ को प्रबंध बोर्ड के निर्णय के अध्ययधीन स्पोर्ट्स बोर्ड का सेक्रेटरी बनाये जाने के आदेश का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट VI का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 9 :– विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक बैठक दिनांक 30.11.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट VII के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन किया गया। साथ ही छात्रों को अच्छी गुणवत्ता का ब्लेजर जिस पर विश्वविद्यालय को लोगो (Logo) छपा हो, दिये जाने का निर्णय किया गया। पुराने प्रकरण में खेल सचिव के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा के अनुसार ब्लेजर की कीमत रू. 2100/– तय की गई।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय योजना एवं निगरानी समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट VIII में प्रस्तुत समिति की बैठक के कार्यवृत को स्वीकार किया गया।

Item Agenda (मद) 11 :– कार्यालय ग्राम पंचायत कटराथल, पं. स. पिपराली, सीकर से प्राप्त पत्र के अनुसार आम रास्ता विश्वविद्यालय से दक्षिण दिशा में कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)

निर्णयः ग्राम पंचायत कटराथल को यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिया जावे कि विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि में बनी चारदीवारी के बाहर, यदि नगर विकास न्यास या ग्राम पंचायत, कटराथल जो भी सक्षम हो, बनी हुई चारदीवारी के बाहर उस भूमि पर आने–जाने का कोई आम रास्ता देती है तो विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं।

Item Agenda (मद) 12 :– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में किसी संकाय या विषय विशेष में प्राइवेट व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने नाम से गोल्ड मेडल दिये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्राइवेट व्यक्ति या संस्था से गोल्ड मेडल के लिए एक निर्धारित राशि तय कर जमा करवाई जाये एवं उस राशि के ब्याज से प्रतिवर्ष गोल्ड मेडल तैयार करवा लिया जाये। अनुबंध में यह शर्त भी रखी जाये कि बाजार दर में परिवर्तन की स्थिति में उन्हें सूचित कर दिया जावेगा जिससे कि मूल राशि और जमा करवाई जा सके। भविष्य में निर्धारित दर जमा नहीं होने पर गोल्ड मेडल स्थगित अथवा समाप्त कर दिया जावेगा। गोल्ड मेडल हेतु पात्रता व मेडल राशि निर्धारित करने के लिए पृथक से नियम बना लिये जाने का भी निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 13 :– विश्वविद्यालय परिसर की लेण्डस्केपिंग व वास्तु तथा प्लाजा के वास्तु हेतु वास्तुकार की राय लेने एवं उसके शुल्क तय करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय परिसर की लेण्डस्केपिंग व परिसर वास्तु तथा प्लाजा के डिजाइन हेतु वास्तुकार श्री अनुय भरतरिया की सेवा लिये जाने निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– सेवानिवृत उपकुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विश्वविद्यालय में समेकित पारिश्रमिक पर सेवाएं लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – X)

निर्णयः विश्वविद्यालय में निजी सचिव–कुलपति का पद राज्य सरकार द्वारा सृजित पद है परन्तु भर्ती की स्वीकृति अभी तक नहीं प्राप्त होने पर डॉ. जसवंत सिंह खीचड़, सेवानिवृत उपकुलसचिव उनके विश्वविद्यालय के सेवाकाल में संस्थापन, शैक्षणिक, सम्बद्धता, विधिक, डीडीओ, परीक्षा नियंत्रक, विभिन्न अनुभागों/पदों पर कार्यानुभव को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अपनी निजी आय से प्रबंध बोर्ड द्वारा समेकित स्थिर

पारिश्रमिक रू. 40000/– प्रति माह पर पद भरे जाने तक या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो उन्हें कार्यव्यवस्था हेतु इस पद पर कार्य हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग को सूचित करने का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– शेखावाटी के इतिहास एवं संस्कृति के संरक्षण व संग्रहण हेतु संग्रहालय की स्थापना के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः विश्वविद्यालय में शेखावाटी के इतिहास, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने तथा धरोहर के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना का निर्णय किया गया।

Item Agenda (मद) 16 :– प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक एवं पुस्तकालय भवन के लिए फर्नीचर उपापन हेतु ई–निविदा 07/2020–21 के स्वीकृत निविदा का कार्यादेश जारी किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XI)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XI में प्रस्तुत निविदा के अनुसार कार्यादेश का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 17 :– प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर, लेपटॉप, कलर प्रिन्टर, मल्टीफंकश्नल प्रिंटर व स्कैनर के उपापन हेतु ई–निविदा 08/2021–22 के अन्तर्गत स्वीकृत दरों का कार्यादेश जारी किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XII)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XII में प्रस्तुत निविदा के अनुसार कार्यादेश का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डाः–

Table Agenda (मद) 1 :– विश्वविद्यालय में कार्याधिक्य एवं स्टाफ की कमी के कारण पांच मैन–विद–मशीन रखने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः पांच कुशल एवं योग्य मैन–विद–मशीन कम्प्यूटर कार्य हेतु विश्वविद्यालय की निजी आय से नियमित भर्ती होने तक रखे जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 2 :– विश्वविद्यालय में कंसलटेन्ट की सेवाएं लेने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः सेवानिवृत सहायक अभियंता या उससे उच्च स्तर की कंसलटेन्ट की सेवाएं संविदा पर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

Table Agenda (मद) 3 :– कुशल, अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XIII)

निर्णयः कुशल, अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति कराने वाली फर्म को एक बार फिर अंतिम मौका प्रदान करते हुए पत्र लिखकर श्रमिक मांगे जावे। फर्म द्वारा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में संबंधित फर्म पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

Table Agenda (मद) 4 :– प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी. एल. शर्मा को किये गये बकाया वेतन भुगतान का अनुमोदन।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XIV)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XIII में प्रस्तुत विवरण के अनुसार किये गये वेतन भुगतान का अनुमोदन किया गया।

Table Agenda (मद) 5 :– महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2022–23 के सम्बद्धता शुल्क जमा कराने हेतु अतिरिक्त समय देने के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक प. 26 (01) शिक्षा–4 /2015 दिनांक 28.12.2021 पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XV)

निर्णयः राज्य सरकार के पत्रांक प. 26 (01) शिक्षा–4 /2015 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार पालना किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 6 :– विजय महिला महाविद्यालय पिलानी झुन्झुनू को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ4(136)आकाशि/नि.स./2015/575 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा सत्र 2020–21 हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार पूर्व वर्ष से सम्बद्धता जारी करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XVI)

निर्णयः राज्य सरकार से देरी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण गत सत्र 2020–21 से सम्बद्धता जारी रखे जाने का निर्णय किया गया लेकिन इस निर्णय को भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाये।

Table Agenda (मद) 7 :– ब्लूम कॉलेज, चिड़ावा, झुन्झुनू के द्वारा प्रस्तुत किए गए कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) सत्र 2015–16, 2016–17 के पश्चात पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –XVII)

निर्णयः ब्लूम कॉलेज से कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाये तथा क्यों नहीं उसकी सम्बद्धता समाप्त की जाये इस हेतु शॉ कॉज नोटिस दिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 8 :– सेठ जी.बी. पोदार टी.टी. कॉलेज नवलगढ़, झुन्झुनू में श्री महेश कुमार पुत्र श्री जीत राम का महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत होना एवं साथ ही राजकीय सेवा में भी कार्यरत होने पर विचार एवं निर्णय।

निर्णयः सेठ जी.बी. पोदार टी.टी. कॉलेज नवलगढ़, झुन्झुनू व श्री महेश कुमार पुत्र श्री जीत राम से क्रमशः गैर कानूनी व नियम विरूद्ध कार्य करवाने व करने पर कूटरचित दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जावे तथा इनके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधि सम्मत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 9 :– विश्वविद्यालय में विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होने वाले सहभागी को TA का नगद भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः प्रबंध बोर्ड के सदस्यों को यात्रा भत्ता का तत्काल भुगतान किये जाने का निर्णय किया।

Table Agenda (मद) 10 :– खण्डपीठ के अधिवक्ताओं की फीस के निर्धारण के संबंध में विचार एवं निर्णय।

निर्णयः खण्डपीठ के अधिवक्ताओं की फीस अधिकतम रू. एक लाख निर्धारित किये जाने का निर्णय किया गया तथा इन्हें स्टेशनरी चार्ज रू. 5000/— दिये जाने का भी निर्णय किया गया। अपील कोर्ट (उच्च न्यायालय) के अधिवक्ताओं को भी स्टेशनरी चार्ज रू. 5000/— दिये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 11 :— कर निर्धारण वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी आयकर बकाया को जमा करवाने के संबंध में विधिक राय लेने हेतु भुगतान की जाने वाली फीस का अनुमोदन :—

(अ) मैसर्स. महेन्द्र गार्गिया एण्ड एसोसियटस, जयपुर रू 31,000/—
(ब) मैसर्स. आर. मोहनोत एण्ड कम्पनी, जयपुर, रू 35,400/— (जीएसटी सहित)

(कार्य सूची की परिशिष्ट —XVIII)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XVIII के अनुसार भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 12 :— आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2022—23 से पंजीयन हेतु मैसर्स. कालानी एण्ड कम्पनी, जयपुर को फीस रू 50,000 एवं देय जीएसटी का भुगतान।

(कार्य सूची की परिशिष्ट —XIX)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XIX में प्रस्तुत बिल के अनुसार भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

Table Agenda (मद) 13 :— आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत वित वर्ष 2019—20 हेतु पूर्व में किये गये आवेदन को निरस्त करने के कारण इसके विरूद्व अपील करने हेतु मैसर्स. कालानी एण्ड कम्पनी, जयपुर को फीस रू 50,000 एवं जीएसटी का भुगतान।

(कार्य सूची की परिशिष्ट —XIX)

निर्णयः कार्य सूची की परिशिष्ट XIX में बिल प्रस्तुत होने पर उसके अनुसार भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।</u>

1. **श्री दीनदयाल शर्मा, प्राध्यापक हिंदी, पोद्दार टी.टी. महाविद्यालय, नवलगढ़ के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः पोद्दार टी.टी. महाविद्यालय, नवलगढ़ को विश्वविद्यालय के प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार प्रकरण पर निर्णय कर पारिश्रमिक भुगतान किये जाने के संबंध में पत्र लिखे जाने का निर्णय किया गया।

2. **विश्वविद्यालय के खेलों में वेट लिफ्टिंग शामिल करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

निर्णयः विश्वविद्यालय के खेलों में वेट लिफ्टिंग को खेल बोर्ड की बैठक बुलाकर शामिल किया जावे तथा यदि अंतर महाविद्यालयी प्रतिभागियों में खिलाड़ियों की संख्या कम होने के कारण कंपीटिशन नहीं हुआ हो तो उन्हें अंतरविश्वविद्यालयी खेलों में न भेजा जाये।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की।

कुलसचिव